तार : नवसम

Website: navodayarajsamand.ac.in

जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला–राजसमन्द (राज.)313324

फा.सं.–निविदा / जनविरा(कय) / 2021–22 /

दिनांक: 22.06.2022

–:: निविदा सूचना सं. 01 ::–

जवाहर नवोदय विद्यालय,राजसमन्द जिला–राजसमन्द(राजस्थान) को वर्ष 2022-23 हेतु निम्नलिखित सामग्री / कार्य हेतु ईच्छुक प्रतिष्ठित एवं अनुभवी आपूर्तिकर्ता / ठेकेदारों से सीलबन्द लिफाफे में दिनांक: 02.07.2022 को **अपराहन** 04.00 बजे तक निविदाऐं आमन्त्रित की जाती है । निविदा फार्म दिनांक 23.06.2022 से दिनांक 02.07.2022 तक **अपराहन** 04.00 बजे तक कार्य दिवस में विद्यालय कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करा कर प्राप्त कर सकते हैं। डाक से निविदा फार्म चाहने वालो को निविदा फार्म शुल्क के अतिरिक्त रू. 30 / –डाक खर्च का भुगतान करना होगा एवं वेबसाईट से डाउनलोड फार्म हेतु निर्धारित निविदा शुल्कए धरोहर राशी के अतिरिक्त भिजवाने होंगें।

भरी हुई निविदाऐं दिनांक: 02.07.2022 को अपराहन 04.00 बजे तक जमा करा सकते है एवं प्राप्त निविदाऐं दिनांक: 04.07.2022 को 11.00 बजे मध्यान्ह पूर्व प्राचार्य कक्ष में विद्यालय कय सलाहकार समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जाएगी।

क.सं.	सामग्री का नाम	सप्लाई अवधि	अनुमानित राशि प्रति वर्ष / माह (लाखों में)	अमानत राशि Rs.	निविदा फार्म शुल्क Rs.
1	सब्जी एवं फल	आवश्यकतानुसार	10.00	15,000/-	100
2	बेकरीए नमकीन एवं मिठाई सामग्री	आवश्यकतानुसार	2.00	2000/-	100
3	वस्त्र धुलाई व प्रेस कार्य	प्रति सप्ताह	2.00	3000/-	100
4	विद्यार्थियों की बाल कटिंग	प्रति सप्ताह	0.75	1000/-	100
5	पानी टैंकर	प्रति दिन	2.00	1000/-	100
6	बस भाडा	आवश्यकतानुसार	2.00	2000/-	100

निविदा के साथ धरोहर राशि संलग्न करना होगा तभी निविदा स्वीकार की जावेगी। **डाक द्वारा निविदा फार्म मंगवाने या भरी हुई निविदा जमा कराने में हुए विलम्ब के लिए यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।** डिमाण्ड ड्रॉफ्ट प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, राजसमन्द के पक्ष में युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, राजसमन्द पर देय होना आवश्यक है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। सभी विवादों का न्याय क्षेत्र राजसमन्द होगा।

केवल वे ही फर्म / कम्पनी / व्यक्ति / ठेकेदार निविदा फार्म प्राप्त करने के पात्र होंगे जो वास्तव में सम्बन्धित सामग्री का व्यवसाय करते हों तथा जिसके लिए सक्षम सरकारी विभाग द्वारा पंजीकृत किया हुआ हो एवं प्रमाण पत्र / लाईसेन्स जारी किया गया हो। निविदा फार्म चाहने वालों को अपने प्रिन्टेड लेटर पेड पर आवेदन करना होगा।

निविदा फार्म, एवं अन्य निविदा शर्ते विद्यालय की वैबसाईट www.navodayarajsamand.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

Sd
प्राचार्य

जवाहर नवोदय विद्यालय, राजसमंद जिला–राजसमंद (राजस्थान)

(..... हेतु निविदा प्रपत्र)

जीएसटी नम्बरः–		सर्विस रजिस्ट्रेशन नम्बरः–	
लाईसेन्स नम्बरः–		पैन नं. : –	

1 नाम सप्लायर्स/फर्म .....

2 (अ) स्थाई पता .....

.....

(ब) पत्र व्यवहार का पता .....

.....

3 जमा की गई धरोहर राशि का विवरणः–**(नगद मान्य नही है)**

ड्राफ्ट नं०..... दिनांक..... राशि.....

बैंक ट्रांसफर नं०..... दिनांक..... राशि.....

4 बिलों का जिस नाम से भुगतान किया जाना है उस व्यक्ति/ फर्म का नाम .....

.....

5 आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा बिलो के भुगतान हेतु बैंक विवरण (***सूचना देना अनिवार्य है***)–

1.फर्म/व्यक्ति का नाम (बैंक विवरण के अनुसार) : .....

2.बैंक का नामः .....

3.बैंक शाखा का नाम : .....

4.बैंक शाखा का पूर्ण पता .....

5.खाता संख्या : .....

6.खाते का प्रकार (बचत/चालू) : .....

7..आई.एफ.एस. कोड : .....

(नोट – आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. द्वारा बिलो के भुगतान हेतु लगने का बैंक चार्ज फर्म द्वारा वहन होगा/देय बिलों से कटौती कर ली जाएगी)

6 अ) निविदा की शर्तो के अनुसार सप्लाई नही करने पर प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द जिला –राजसमन्द को मेरी धरोहर राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

ब) मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र के निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते संख्या 01 से 30 तक पढ़ ली गई है। उनकी मैं पूर्ण पालना करूंगा। मुझे विद्यालय क्रय समिति का निर्णय मान्य होगा ।

स) मैं सहमत हूँ कि विद्यालय द्वारा भुगतान लेखा शाखा में बिल प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर– अन्दर किया जाएगा एवं किसी भी बिल के भुगतान हेतु यदि कोई संदेह/अथवा अन्य कोई प्रशासनिक कारण है तो उसका भुगतान विद्यालय प्राचार्य के विवेकानुसार किया जाएगा।

7. साझेदारी फर्म/कम्पनी होने की स्थिति में अधीकृत व्यक्ति का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

8. फर्म के द्वारा FSSAI का प्रमाण पत्र (केवल **राशन** सामग्री) संलग्न करना होगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर .....

फर्म का नाम एवं पता .....

.....

दूरभाष नं. .....

फर्म की मुहर .....

जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द .जिला राजसमन्द (राजस्थान)

निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्ते

1. जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला–राजसमन्द की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांकः 02.07.2022 को समय 4.00 बजे अपराहन तक छात्र–छात्राओं की आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में आने वाली विभिन्न प्रकार की सामग्री की आपूर्ति हेतु सत्र 2022-23 के लिए मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

2. निविदा के लिफाफे पर, जिस सामग्री की आपूर्ति के लिए निविदा प्रस्तुत की जा रही है उसका उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। उदाहरणार्थ फर्नीचर की निविदा में लिफाफे पर "फर्नीचर आपूर्ति हेतु निविदा" 2022-23 स्पष्टतया लिखा जाना अनिवार्य है।

3. निविदाएं जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमंद जिला–राजसमंद के प्राचार्य कक्ष में दिनांकः 04.07.2022 को मद्यान्ह पूर्व 11.00 बजे खोली जायेगी ।

4. सामग्री आपूर्ति हेतु दरें, निविदा फार्म की शर्तो, जिनका उल्लेख इस निविदा प्रपत्र में किया जा रहा है के अनुसार भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को प्रपत्र की शर्तो पर सहमति हेतु हस्ताक्षर करने होंगे।

5. निविदा में अंकित की गयी दरें समस्त करों जी.एस.टी कर, उत्पादन शुल्क तथा अन्य करों सहित एफ० ओ० आर० जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला–राजसमन्द होनी चाहिए ।

6. निविदा फार्म साफ–सुथरे ढ़ग से भरा जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की कांट–छांट यथा संभव नहीं करें। यदि किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना अति–आवश्यक है तो उसे साफ–साफ तरीके से करते हुये परिवर्तन करें तथा किये गये परिवर्तन पर दिनांक सहित हस्ताक्षर कर सत्यापित करें। परन्तु किसी भी दशा में ओवर राइटिंग स्वीकार्य नहीं की जायेगी।

7. किसी भी निविदा को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है तथा वह न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाली निविदा को स्वीकृत करने के लिये बाध्य नहीं हैं। अधोहस्ताक्षरी किसी भी निविदा को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकते हैं।

8. निविदा में स्वीकृत दरें 30.06.2023 तथा एम. एण्ड आर. एवं युनिफार्म से सम्बन्धित निविदाऐं स्वीकृति तिथि से 30.06.2023 तक मान्य होगी। जिसके आधार पर निविदा स्वीकार होने पर यह निविदादाता व निविदाकर्ता के बीच एक अनुबन्ध हो जाता है जिसके आधार पर स्वीकृत निविदादाता निविदा की शर्तो के अनुरुप आपूर्ति/कार्य करेगा ।

9. निविदा के साथ जमा करायी जाने वाली धरोहर राशि (अरनेस्ट मनी)रू. ...../–बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा स्वीकार की जाएगी। बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला– राजसमन्द के पक्ष में युनियन बैंक ऑफ इण्डिया, राजसमन्द पर देय होगा। जिन निविदाकर्ताओं की निविदा स्वीकार नहीं होगी उन्हें धरोहर राशि निविदा की अन्तिम स्वीकृत होने की तारीख से एक माह के भीतर लौटा दी जायेगी। यदि निविदादाता धरोहर राशि के भुगतान में छूट चाहता है तो वह संबन्धित सरकारी आदेश की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करेगा जिसके अन्तर्गत सम्बन्धित फर्म धरोहर राशि जमा कराने की छूट हेमु पात्रता रखती है । नकद या चैक स्वीकार नही किये जायेंगे । धरोहर राशी प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 592602010008518 आई0एफ0एस0सी0 कोड UBIN0559261 मे सीधा जमा करवाया जा सकता है।

10. यदि कोई सरकारी संस्था निविदा प्रस्तुत करना चाहती है तो वे अपने सरकारी विभाग होने का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करें ।

11. जिन निविदादाताओं की निविदा स्वीकार हो जाएगी उन्हे कुल अनुमानित क्रय राशि के 10 प्रतिशत के बराबर सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी। इस सुरक्षा राशि में उनके द्वारा जमा करवायी गयी धरोहर राशि समायोजित कर दी जाएगी तथा शेष राशि उन्हे निश्चित अवधि आदेश प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा करवानी होगी तथा इस सुरक्षा राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

12. विद्यालय द्वारा स्वीकृत निविदा दाता की सुरक्षित जमा राशि अनुबन्ध समाप्ति की तिथि से कुल छः माह तक सुरक्षा की दृष्टि से रोकी जायेगी। यदि निविदा अनुबन्ध वर्ष में किसी त्रुटि के कारण से आपूर्ति से किसी प्रकार की हानि विद्यालय को होती है तो उस हानि की प्रतिपूर्ति सुरक्षा राशि से की जाएगी अन्यथा 06 माह के बाद अवमुक्त कर दी जाएगी।

13. निविदा देने वाले व्यक्ति की, जिसकी निविदा स्वीकृत की गयी है को आदेश देने की तारीख में लिखी गई समय अवधि के भीतर विद्यालय को सामग्री की आपूर्ति करनी होगी यदि अनुमोदित निविदादाता निर्दिष्ट अवधि के भीतर सामग्री भेजने में असफल रहता हैं तो 07 दिन तक की देरी के लिए रू. 500/– प्रतिदिन की दर से पेनल्टी **(Penalty)** देनी होगी। उसके उपरान्त आपूर्ति न करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह अधिकार होगा की वह माल की आपूर्ति खुले बाजार से कर ले या निविदा की आपूर्ति/कार्य किसी अन्य व्यक्ति/फर्म को देकर पूरा करवा ले। इस संबंध में अधिक भुगतान की गई राशि की कटौती निविदादाता/अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता की सुरक्षित जमा राशि से की जाएगी। यदि इस संबंध में अधिक भुगतान राशि निविदादाता की जमा सुरक्षित राशि से अधिक होगी तो अधिक भुगतान की भरपाई की जिम्मेदारी भी निविदादाता/ अधिकृत आपूर्तिकर्त्ता फर्म की होगी तथा उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जाएगी तथा ऐसी फर्म को भविष्य के लिए ब्लैक लिस्टेड घोषित कर दिया जाएगा।

14. यदि किसी सामान की सप्लाई के साथ निर्माता द्वारा कोई भी गिफ्ट सामान या स्कीम दिया जा रहा है तो उस पर क्रेता का अधिकार होगा जिसे आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति के साथ दिया जाएगा।

15. निविदा में दर्शायी गई मात्रा अनुमानित है, जिसे निविदा जारीकर्त्ता/प्राचार्य द्वारा आवश्यकता अनुसार बिना कारण बताए घटाया या बढाया जा सकता हैं।
16. निविदादाता को प्रिन्टेड एम.आर.पी. एवं अनुमोदित दर दोनो में से जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा।

17. प्रिन्टेड एम.आर.पी. में जब जब परिवर्तन होगा तो प्राचार्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वो बढ़ी हुई एम.आर.पी. का सत्यापन कमेटी के माध्यम से खुले बाजार से करावें और यदि सप्लायर फर्म द्वारा प्रस्तुत की गयी एम.आर.पी. दर में कोई अन्तर पाया जाता है तो प्राचार्य निविदा करार को निरस्त कर सामग्री अन्यत्र स्थान से आपूर्ति कराकर हानि की भरपाई सप्लायर फर्म से करवा सकता है तथा उसके द्वारा जमा कराई गयी सुरक्षा राशि को जब्त कर सकता है।

18. निविदा फार्म में जिस सामग्री के लिए नमूना मांगा गया है के संबंध में निविदादाता निविदा के साथ या निविदा खुलने के समय मांगा गया नमूना साथ में लायेगें। यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तु कोई मशीन है उस दशा में निविदादाता मशीन का स्थापन अधोहस्क्षरकर्त्ता के निर्देशानुसार करेगा तथा उसको संचालित कर दिखायेगा तथा संबंधित कर्मचारियों को उसका निःशुल्क प्रशिक्षण भी देगा।

19. आपूर्ति की गयी सामग्री की जांच अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा या अन्य अधिकृत प्रतिनिधि/कमेटी द्वारा की जायेगी। यदि आपूर्ति की गयी सामग्री स्वीकृत निविदा/आपूर्ति आदेश के अनुसार/विनिर्देशन के अनुसार नही पायी गयी तो आपूर्ति को अस्वीकार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे पर आपूर्ति की गयी सामग्री को बदलेगा अथवा वापस ले जाएगा।

20. ऐसी सामग्री जैसे कपडा, स्टेशनरी, जूता चप्पल जिसकी गुणवत्ता की जॉच किसी सरकारी लैब में करवायी जानी है, इस प्रकार की जॉच का व्यय निविदादाता को वहन करना होगा। जॉच ऐजेन्सी का चयन अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।
21. निविदा उन्ही फर्मो की स्वीकार की जाएगी जो उस विशिष्ट सामग्री का व्यापार करती हो तथा उसके निमित्त फर्म को उस सामग्री के व्यापार करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उदाहरणार्थ यदि खाद्य सामग्री आपूर्ति हेतु निविदा प्रस्तुत करना है तो फर्म को खाद्य सामग्री के व्यापारी से सम्बन्धित GST प्रमाण पत्र व GST Number . प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह स्वष्टतया दर्शाया गया हो कि सम्बहन्धत फर्म खाद्य सामग्री का व्यापार करने हेतु

पॅजीकृत है । भारत सरकार व नवोदय विधालय समिति के क्रय नियमावली के आधार पर विधालय, छात्र - छात्राओ व विधालय हित में कोई भी सामग्री (जिसका न्यूनतम दर स्वीकृत हो का भी) का क्रय सीधे GEM से भी कर सकता है।

22. निविदादाता सामग्री को ठीक तरह से पैक करने के लिए जिम्मेदार होगा ताकि उसे जहाज, रेल, सडक या वायुयान द्वारा साधारण दशा में भेजते समय नुकसान न हो तथा सामग्री अच्छी दशा में नियत स्थान पर प्राप्त की जा सके। किसी भी प्रकार की हानि, नुकसान, टूट–फूट, लीक, सड़क दुर्घटना होने या अन्य कमी की घटना के कारण हुई हानि के लिए निविदादाता/आपूर्तिकर्त्ता जिम्मेदार होगे और उस हानि की भरपायी उन्ही के द्वारा की जाएगी। अधोहस्ताक्षरी इस प्रकार से हुयी हानि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे।
23. आपूर्तिकर्त्ता फर्म को किये जाने वाले भुगतान के निमित्त जारी बैंक ड्राफ्ट, आर.टी.जी.एस., एन.ई.एफ.टी. इत्यादि पर होने वाले व्यय संबंधित फर्म द्वारा वहन किये जायेंगे।
24. विवादास्पद आइटमों के मामले में भुगतान की राशि रोकी जा सकती है तथा विवादास्पद आइटमों का निपटारा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अथवा उसके द्वारा नामित कॅमेटी सदस्य जिसमें एक प्रतिनिधि आपूर्तिकर्त्ता फर्म का भी होगा, कि आपसी सहमति के निर्णय अनुसार होगा।
25. क्रय की जाने वाली वस्तुओं के विशिष्ट विवरण जैसे साईज, मैक, सैम्पल, पेटेन्ट क्वालिटी एवं मात्रा एवं टैण्डर की शर्ते आदि जवाहर नवोदय विद्यालय के कार्यालय से कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है । इन्हे प्रत्येक निविदादाता अपने निविदा देने से पूर्व देख सकता है या प्राप्त कर सकता हैं । यदि उसे इन शर्तो या विशेष विवरणों या चित्र आदि के किसी भी भाग के अर्थ के बारे में कोई सन्देह हो तो वह निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने से पूर्व उसे प्रभारी अधिकारी को संदर्भित करे तथा उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।

26. यदि निविदा फर्नीचर सप्लाई के लिए है तो निविदादाता प्रत्येक फर्नीचर सामान पर मेटल की प्लेट लगायेंगे जिस पर फर्म का नाम तथा सप्लाई का वर्ष अंकित होगा ।

27. इन सामान्य शर्तो के अतिरिक्त विद्यालय द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की सूची तथा विशिष्ट सामग्री अनुसार शर्तो का विवरण इस निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं।

28. ऐसी सामग्री जिसके निर्मित नमूना भी मांगा गया है निविदादाता द्वारा प्रस्तुत नमूने की कीमत निविदा प्रपत्र के अनुसार भुगतान की जाएगी तथा नमूने पर क्रय सलाहकार समिति के सदस्यों व निविदादाता के हस्ताक्षर होंगे। नमूने को विद्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा। नमूना किसी भी दशा में निविदादाता को वापस नहीं किया जायेगा।

29. सभी विवादो का न्याय क्षेत्र राजसमन्द होगा।

30. निविदादाता निविदा के साथ निम्न प्रमाण पत्र साथ में संलग्न करेंगे –
    - अ. आयकर विभाग द्वारा जारी पैन नम्बर व टैन नम्बर की सत्यापित प्रतिलिपि।
    - ब. निर्धारित धरोहर राशि ।
    - स. उपकरण फर्नीचर आदि की सप्लाई के लिए निर्दिष्टीकरण तथा छपा हुआ सूचीपत्र तथा अन्य लिखित सामग्री।
    - द. यदि निविदादाता अनुमोदित वितरक है तो संबंधित कम्पनियों द्वारा अनुमोदित वितरक का प्रमाण पत्र।
    - य. जहां लागू हो, टिन/जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति।
    - र. फर्म बैंक खाते का नम्बर व आर.टी.जी.एस. नम्बर।

Sd/-

प्राचार्य
ज.न.वि.राजसमन्द

दिनांक:.....

–: धरोहर राशि निविदा शुल्क (यदि वैबसाइट से डाउनलोड किया गया है) का विवरण एवं शर्त सहमति पत्रः–

1. निविदा प्रपत्र के साथ (यदि वैबसाइट से डाउनलोड किया गया है तो) निविदा शुल्क रू. .... का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ..... दिनांक ..... जो कि ... . बैंक द्वारा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला–राजसमन्द के नाम से जारी किया गया है, संलग्न कर दिया गया है।
2. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .....का बैंक ड्राफ्ट क्रमांक ....दिनांक..... जो कि ....बैंक द्वारा प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला–राजसमन्द के नाम से जारी किया गया हैं, संलग्न कर दिया गया है ।
3. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर राशि रूपये .....दिनांक..... ..... को जवाहर नवोदय विद्यालय राजसमन्द, जिला–राजसमन्द के रसीद क्रमांक..... .....दिनांक .....द्वारा नकद जमा करा दी गयी है।

उक्त धरोहर राशि निविदा प्रपत्र में लिखित प्रावधानों के अनुसार अंकित की गयी शर्तो के उल्लंघन पर जब्त किये जाने का अधिकार निविदाकर्ता को होगा ।

निविदा प्रपत्र में अंकित शर्त संख्या 01 से 30 तक समस्त शर्ते हमें मान्य है । विशेष रूप से शर्त संख्या 13 व 21 का अवलोकन कर समझ लिया है। जिसके लिए मैं अपनी सहमति प्रदान करता हूँ।

निविदा दाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम एवं पता
दूरभाष नं.
फर्म की मुहर

दिनांकः_____

जवाहर नवोदय विद्यालय,राजसमन्द
जिला–राजसमन्द(राजस्थान)–313324
सत्र 2022-23 में पानी टैंकर के लिए निविदा प्रपत्र

अनुमानित राशि :रू **2.00** लाख प्रति वर्ष अमानत राशिः रू. **1000/–** निविदा खोलने की दिनांकः **04.07.2022**

फर्म का नाम व पता–– – – – –– – –– – – – ––– – – – – – – –– ––– –– – – –– –

क.सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति टैंकर
01	**पानी टैंकर (5000 लि॰ पम्प सहित)**	

महत्वपूर्ण नोट :–

01 विधालय में आवश्यकतानुसार पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना होगा|

02– पानी टैंकर (5000 लि॰ पम्प सहित) का अनुबन्ध दिनांकः **30.06.2023** तक के लिए होगा ।

03 –अनुबन्ध बीच में छोडने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा भविष्य में किसी प्रकार का कोई पत्र व्यवहार नही किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर व पता